प्ररूप सं. 45ख

[नियम 112(2)(*ग*) देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 की उपधारा (1क) के अधीन प्राधिकार का वारंट

[2][सेवा में

उप निदेशक,

उपायुक्त,

सहायक निदेशक,

सहायक आयुक्त,

आय-कर अधिकारी]

.....

मेरे समक्ष जानकारी रखी गई है और उस पर विचार करने पर मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी लेखा पुस्तकें, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, जिसकी बाबत [महानिदेशक या निदेशक]/आय-कर के [मुख्य आयुक्त या आयुक्त]/[उप निदेशक]/[उपायुक्त]

..... द्वारा

.....

[प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम]

को धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (*i*) से (*v*) के अधीन कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है,

.....

में रखी है या रखी हैं।

[भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करें]

और ऊपर विनिर्दिष्ट भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान को महानिदेशक या निदेशक/आय-कर के [4][मुख्य आयुक्त या आयुक्त]/[5][उप निदेशक]/आय-कर के उपायुक्त द्वारा धारा 132 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकार में उल्लिखित नहीं किया गया है।

आपको .....

[उप निदेशक या उप आयुक्त का या सहायक निदेशक का या सहायक आयुक्त का या आय-कर अधिकारी का नाम] यह प्राधिकार दिया जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि आप–

(*क*) उसका भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान में प्रवेश करें और उसकी तलाशी लें;

(*ख*) ऐसे किसी व्यक्ति की, जो उस भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान से बाहर आया है या उसमें घुसने वाला है या उसमें है, तलाशी लें यदि आपके पास यह संदेह करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने किसी ऐसी लेखा पुस्तकें अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज को अपने शरीर में छिपा लिया है;

(*ग*) ऐसी लेखा पुस्तकों और दस्तावेजों पर, जो तलाशी के अनुक्रम में पाई जाएं और जिन्हें आप भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 के अधीन या आय-करअधिनियम, 1961 के अधीन कार्यवाहियों में उपयोगी या सुसंगत समझे, पहचान चिह्न लगाए या और पहचान चिह्न की विशिष्टियों के साथ उनकी सूची बनाएं;

(*घ*) ऐसी लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों की परीक्षा करें और ऐसी लेखा पुस्तकों और दस्तावेजों की प्रतियां या उद्धरण तैयार करें या तैयार कराएं;

(*ङ*) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज को अभिग्रहण कर लें और उसको कब्जे में ले लें;

(*च*) ऐसे किसी धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का टिप्पण या सूची बनाएं;

(*छ*) ऐसी लेखा-पुस्तकों, दस्तावेजों, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज को आय-कर [उप आयुक्त] के या किसी अन्य प्राधिकारी के, जो आय-कर अधिनियम, 1961 के निष्पादन में नियोजित आय-कर अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो, कार्यालय में पहुंचाएं; और

(*ज*) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 और उससे संबंधित नियमों के अधीन सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करें तथा सभी अन्य कृत्यों का निर्वहर करें।

आप आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए आपकी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी की या केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी की या दोनों की सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकते हैं।

(मुद्रा)

आय-कर के [मुख्य आयुक्त या आयुक्त]